**श्री कंवर लाल गुप्त** : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

---

## POST-GRADUTE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, CHANDIGARH (AMANDMENT) BILL*

**(Amendment of Sections 3, 5. etc )**

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : Sir I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigrah, Act, 1966.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, Act, 1966."

*The motion was adopted*

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I introduce the Bill.

---

MR. DEPUTY-SPEAKER : I find that Shri Devgun is absent. Shri Goyal.

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

**Amendment of article 16)**

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend to Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted*

SHRI SHRI CHAND GOYAL : I introduce the Bill.

## CEILING ON PROFITS BILL*

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय व्यापारिक गृहों, व्यापारिक संस्थाओं, उपक्रमों आदि के लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the fixation of ceiling on profits, of certain business houses, concerns, undertakings, etc."

*The motion was adopted*

**श्री कंवर लाल गुप्त** : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

---

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

**(Amendment of article 366)**

**श्री मृत्युंजय प्रसाद** (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted*

**श्री मृत्युंजय प्रसाद** : मैं विधेयक को पेश करता हूं ।

---

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

**(Amendment of Seventh Schedule)**

**श्री मृत्युंजय प्रसाद** (महाराजगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

*Published in the Gazette of India Extra-ordinary Part II Section 2, dated 31.7.70.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted*

**श्री मृत्युंजय प्रसाद** : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

---

**16.05 hrs.**

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

**(Amendment of Article 164**

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri P. K. Deo on the 24th April, 1970 Shri Manubhai Patel was on his legs on the last occasion. He is absent.

SARVASHRI SHIVA CHANDRA JHA AND E. K. NAYANAR *rose*

MR. DEPUTY-SPEAKER : So many Members from the various parties have spoken The time allotted for the Bill was 1½ hours and we have already taken 3 hours and 39 minutes. Anyway. I shall allow Sarvashri Jha and Nayanar. After that let this come to a conclusion.

**श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं । इस विधेयक में श्री पी० के० देव कहते हैं कि :

"Within a week (i) after the results of each general election or mid term elections in a State are published, or (ii) after the office of Chief Minister otherwise falls vacant, the Governor shall summon the Legislative Assembly of the State to elect the Leader of the House who shall be appointed by him as the Chief Minister."

अब इस में है :

"The 'Leader of the House' means one who commands the absolute majority of the House for which a second or a third ballot may be held, if necessary, until the absolute majority is obtained."

अगर वह बैलट के जरिये चुना जायेगा तो भी डिक्टेटोरियल हुकूमत का रास्ता साफ हो जायेगा । मैं मानता हूँ कि हो सकता है मार्जिन पर या कम मैजारिटी से कोई नेता चुन लिया गया, सम्भावना यह भी है कि उसकी सरकार स्टेबल न हो, जैसे कि बिहार में है, इसलिए वह टिक न सके । इससे आम तौर पर यह उम्मीद की जाती : कि प्रान्तीय सरकार में स्टेबिलिटी आयेगी । यह उनकी आशा है और वह चाहते हैं कि प्रान्तीय सरकारों में स्लेबिलिटी आये, लेकिन बैलट के जरिये क्या होगा, यह भी तो सोचिए । मान लीजिये कि एक आदमी बैलट के जरिये लीडर चुन लिया गया और ऐब्सोल्यूट मैजरिटी से लीडर हो गया । हमारे यहां जो पार्लियामेंट्री डिमोक्रेसी का सिस्टम है उसमें यह होता है कि जो आदमी लीडर चुन लिया गया बैलट के जरिये गवर्नर उसी को चीफ मिनिस्टर बनाता है । लेकिन यदि वह आदमी अपनी पार्टी का लीडर नहीं रहता, यदि पार्टी की लीडरशिप से उसको हटा दिया गया, वह एम० एल० एज० का लीडर नहीं रहता, तब क्या परिस्थिति होगी । इस तरह से एक आदमी के हाथ में इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप की बात आती है, एक आदमी के हाथ में प्रान्त की सारी राजसत्ता देने की बात आती है और पार्लियामेंट्री डिमोक्रेसी की जो बुनियादी बात है वह खत्म हो जाती है । अगर एक आदमी को बैलट के जरिये चुन लिया जाता है नेता, लेकिन अगर पार्टी के एम० एल० ए० उसको अपना नेता नहीं मानते हैं, तब क्या होगा ? उसके द्वारा इंडिविजुअलिज्म की डिक्टेटरशिप की बात चल सकती है ।

थोड़ी देर के लिये मैं इस पर विचार कर सकता हूँ कि अगर आपके गवर्नर पीपल के जरिये चुने जायें, जैसे अमरीका में है जहां गवर्नर डाइरेक्ट चुना जाता है, उनके द्वारा स्टेबिलिटी आ सकती है । गवर्नर जनता द्वारा चुने हुए होंगे और गवर्नर मिनिस्टर को सेक्रेट्री